

1.	योजना का नाम	विशेष योग्यजन खेलकूद योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	खेलकूद प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से विशेष योग्यजनों की दक्षता एवं क्षमता में वृद्धि करना है ताकि विशेष योग्यजन समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1996 संशोधित वर्ष 2014
4.	लाभान्वित वर्ग	40 अथवा 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्ताधरी विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	I. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। II. अभ्यर्थी विशेष योग्यजन हो। III. योजनान्तर्गत कोई भी विशेष योग्यजन खेलकूद/सांस्कृति प्रतियोगिताओं में रुचि रखता हो।
6.	देय सुविधाएं	जिला स्तर पर 75,000 संभाग स्तर पर 1,00,000 राज्य स्तर पर 1,25,000 का बजट संबंधित जिलाधिकारी को आवंटित किया जायेगा।
7.	आवेदन पत्र	जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें।
8.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
9.	आवेदन कहां किया जावे	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
10.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● निःशक्ता प्रमाण-पत्र ● मूल निवास प्रमाण-पत्र
11.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।